न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिवाना

पीठासीन अधिकारीः–श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

प्रकरण संख्याः– 02/2018

प्रार्थीः–

1. गिरधारीराम पुत्र जेरूपाराम जाति मेगवाल
2. माधाराम पुत्र जेरूपाराम जाति मेघवाल
3. उदाराम पुत्र जेरूपाराम जाति मेघवाल
4. काछबाराम पुत्र हकाराम जाति मेघवाल
5. हरीराम पुत्र हकाराम जाति मेघवाल
6. राजुराम पुत्र कपुराराम जाति मेघवाल
7. पारसराम पुत्र कपुराराम जाति मेघवाल
8. कालीदेवी बेवा कपुराराम जाति मेघवाल

बनाम

विप्रार्थीगणः–

1 गेवाराम पुत्र खीमाराम जाति कुम्हार
2 जैसाराम पुत्र खीमाराम जाति कुम्हार
3 दीपाराम पुत्र खीमाराम जाति कुम्हार
4 चुनाराम पुत्र खीमाराम जाति कुम्हार
5 मुलाराम पुत्र खीमाराम जाति कुम्हार
6 केगोदेवी पत्नी धुंकाराम जाति प्रजापत निवासीगण ईटवाया तहसील सिवाना
7 पुरखा पुत्र गिरधारीजी जाति कुम्हार निवासी भाटा तहसील गुडामालानी
8 कानाराम पुत्र मोडाराम जाति रबारी
9 गीगीदेवी पत्नी मोडाराम जाति रबारी
10 जोईतराम पुत्र मोडाराम जाति रबारी
11 झीणाराम पुत्र मोडाराम जाति रबारी
12 तलाराम पुत्र सामताराम जाति रबारी
13 धुकाराम पुत्र मोडाराम जाति रबारी
14 मंगलाराम पुत्र मोडाराम जाति रबारी
15 खेखीकुमारी पुत्री हडमताराम जाति रबारी
16 नेनू देवी बेवा हडमताराम जाति रबारी
17 पुजाराम पुत्र हडमताराम जाति रबारी
18 भटाराम पुत्र हडमताराम जाति रबारी
19 हरसनराम पुत्र हडमताराम जाति रबारी निवासीगण ईटवाया तहसील सिवाना जिला बाडमेर
20 मैनेजर एसबीआई शाखा मोकलसर
21 राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.03.16 12:38:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कायम करवाने बाबत् रास्ता

उपस्थित :– **1. श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. विप्रार्थीगण 1 ता 5 का इकबाली जबाब
3. विप्रार्थी संख्या 6, 8 ता 21 अनुपस्थित

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

–: आदेश :–

दिनांक :–26.02.2021

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण के विरूद्व रा.का.अ. की धारा 251 क के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 1015 रकबा 119.05 हैक्टयर किस्म धोरा सरहद मौजा इटवाया पटवार क्षेत्र पादरू में आई हुई है। जिसमें आवागमन का एक मात्र रास्ता प्रार्थीगण के खेत के बदिशा उत्तर में स्थित विप्रार्थीगण की खातेदारी की खेत खसरा संख्या 1879/1011,1878/1011 के माठ से होते हुए आगे राजस्व सडक तक जाता है जिसको सुस्पष्ट करने हेतु प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" पेश किया है जिसमें मार्क ए से बी. आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" में बरंग लाल से दर्शाया है। प्रार्थीगण कृषि कार्य हेतु इसी रास्ते से होकर सडक मार्ग तक आवगमन करता है इसके अतिरिक्त उसके पास इस हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। बरसात के मौसम में विप्रार्थीगण उक्त प्रचालित रास्ते की भूमि पर काश्त कर एवं बाड बनाकर रास्ता अवरूद्व कर देता है। जिससे प्रार्थीगण के आने–जाने में विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। अतः प्रार्थीगण ने विप्रार्थीगण के खेत मे से प्रचलित उक्त रास्ते की भूमि को गै.मु.रास्ते के रूप में सरकारी खाते मे दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार सिवाना को तहरीर जारी की गई।

विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 द्वारा इकबाली जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते को बिना प्रतिफल लिये रास्ता घोषित करने हेतु सहमति प्रदान की गई।

तहसीलदार द्वारा आवेदित भूमि का मौका निरीक्षण कर फर्द मौका 19.09.2019 जरिये पत्रांक राजस्व/2019/4655 दिनांक 26.11.19 द्वारा प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली की गई । तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1015 सरहद मौजा इटवाया पटवार मण्डल पादरू में आवगमन हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1006,1878/1011,1879/1011 व 1012 में चाहा रास्ता एक मात्र नजदीकी रास्ता बताया। मौका फर्द पर विप्रार्थी संख्या 1 ता 5 व 7 द्वारा बिना प्रतिफल रास्ता दिये जाने हेतु सहमति जाहिर की गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusum Lata Chouhan
Date: 2021.03.16 12:38:52 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थीगण वकील की एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया। दौराने बहस प्रार्थीगण वकील ने निवेदन किया विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 व 7 द्वारा तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित किये गये पत्रांक राजस्व/2019/4655 दिनांक 26.11.19 के संलग्न मौका फर्द दिनांक 19.09.2019

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

पर बिना प्रतिफल लिये प्रार्थीगण को रास्ते दिये जाने बाबत् सहमति जाहिर की है साथ ही विप्रार्थी संख्या 6, 8 ता 21 बावजूद सूचना न्यायालय श्री में अनुपस्थित रहने से प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते दिये जाने बाबत् मौन स्वीकृति जाहिर होती है। अतः प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते को राजस्व रेकर्ड में गै.मु.रास्ता घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर संलग्न तहसीलदार सिवाना का मौका फर्द का गहनता से अध्ययन व मनन किया । तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित पत्रांक राजस्व/2019/4655 दिनांक 26.11.19 के संलग्न मौका फर्द दिनांक 19.09.2019 क अवलोकन पर यह तथ्य सामने आया कि विप्रार्थी संख्या 1 ता 5 व 7 द्वारा बिना प्रतिफल लिये रास्ते दिये जाने की सहमति जाहिर की है तथा विप्रार्थी संख्या 6, 8 ता 21 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहना भी विप्रार्थी संख्या 6,8 ता 21 द्वारा प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते दिये जाने बाबत् मौन स्वीकृति जाहिर होती है। प्रार्थीगण के अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र रा.का.अ. की धारा 251 क स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदार खेत खसरा संख्या 1015 सरहद मौजा इटवाया पटवार क्षेत्र पादरू में कृषि कार्य के लिये आवगमन हेतु प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ता विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1006,1878/1011,1879/1011 व 1012 में से 12 फीट चौडा रास्ता तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के संलग्न नक्शा किश्तवार अनुसार बरंग लाल A से B चौडा रास्ता घोषित किये जाने के आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण को प्रस्तावित 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा।

उक्त नया 12 फीट के रास्ता में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृत निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में गै.मु. रास्ते के रूप में दर्ज होगी।

विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 व 7 द्वारा बिना प्रतिफल रास्ते हेतु भूमि दिये जाने के कारण विप्रार्थी संख्या 1 ता 5 व 7 को रास्ते के रूप में समाविष्ट होने वाली भूमि के रकबे के बदले किसी प्रकार का प्रतिफल देय नहीं होगा। प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे की आदेश दिनांक को प्रचलित डीएलसी द्वारा [illegible] की दो गुना राशि तहसीलदार सिवाना द्वारा गणना [illegible] बताई गई [illegible] का भुगतान प्रार्थीगण विप्रार्थीगण संख्या 6 व 8 ता 19 [illegible] को रास्ते के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि कुल रकबे की क्षतिपूर्ति के रूप में देय होगी जो डीएलसी द्वारा निर्धारित आदेश दिनांक को प्रचालित दर की दो गुणा के बराबर होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.03.16 12:38:52 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थीगण संख्या 6 व 8 ता 19 को प्रदान करने के

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

उपरान्त ही तहसीलदार सिवाना द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमाकंन तथा राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जाएगा। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करते हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार सिवाना द्वारा विप्रार्थी संख्या 6 व 8 ता 19 को वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी।

नये 12 फीट चौडाई के रास्ता मे समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख मे गै.मु. रास्ते के रूप में दर्ज होगी।

प्रार्थीगण के इस प्रकार नये 12 फीट भूमि को रास्ते के रूप में मौका फर्द दिनांक 19.09.2019 के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" में दर्शाई A से B तक उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त अन्य कोई अधिकार आर्जित नहीं होगे। रास्ते के रूप से समाविष्ट भूमि का रकबा सम्वन्धित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जाएगा मौका फर्द दिनांक 19.09.2019 के संलग्न नजरी नक्शा आदेश का भाग होगा।

उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थीगण को नजरी नक्शा अनुसार नये 12 फीट चौडाई रास्ता A से B तक मौजा इटवाया पटवार मण्डल पादरू के खेत खसरा संख्या 1015 में आवगमन हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1006, 1878/1011,1897/1011,व 1012 मे से दिए जाने के आदेश दिया जाते है। प्रार्थीगण द्वारा रास्ते में समाविष्ट होने वाली 12 फीट चौडा रास्ते की भूमि का प्रतिफल के रूप में विप्रार्थी संख्या 6 व 8 ता 19 को अदायगी राशि राजकोष में जमा करवाने पर तहसीलदार सिवाना को उक्त रास्ते की भूमि का गै.मु.रास्ते के रूप में सरकारी खाते में राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना द्वारा जरिये पत्रांक राजस्व/2019/4655 दिनांक 26.11.19 प्रेषित मौका फर्द दिनांक 19.09.2019 के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सिवाना को तहरीर जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.03.16 12:38:52 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

आदेश आज दिनांक 26.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना